

AAE – 2 (E)

ASSISTANT ACCOUNTS OFFICER (CIVIL) EXAMINATION

NOVEMBER, 2010

SERVICE RULES (With Books)

*Time Allowed : 2 Hours*

*Maximum Marks : 65*

**Books allowed :**

1. Compilation of FRs and SRs Vol.I and II.
2. Central Service (Medical Attendance) Rules 1944.
3. Central Civil Services (Pension) Rules 1972.
4. Defined Contributory Pension Scheme.
5. Central Civil Services (Leave) Rules 1972.
6. Leave Travel Concession Rules.
7. General Provident Fund (CS) Rules 1960.
8. Central Government Employees' Group Insurance Scheme 1980.
9. Pension to Re-employed Pensioners.

**Forms to be supplied :**

1. Leave Account Form
2. Table of benefits for the year 2010 under CGEGIS.

- Note :**
1. This question paper contains 4 pages and has 5 questions.
  2. Question No.1 and 2 are compulsory. Attempt any two of the remaining questions.
  3. The candidates would be expected to answer in a clear and cogent manner and invite reference to the relevant provisions of Rules (wherever applicable).

1. (a) Calculate the (i) Service qualifying for pension (ii) Average emoluments during last 10 months of service (iii) Pension (iv) Maximum Commuted value of pension & date of restoration of full pension (v) Retirement gratuity (vi) family pension & enhanced rate from the following particulars:-

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| (i) Date of Birth            | 23.03.1950 |
| (ii) Date of Joining Service | 09.12.1970 |

- (iii) Basic pay in the Pay Band-2 was ₹ 21,910 with ₹ 5,400 as the Grade Pay. He was promoted as Sr. AO (Pay Band-3, ₹ 15,600-39,100 + ₹5,400) w.e.f. 01.04.2009 and exercised option for fixation of pay on promotion w.e.f. 01.07.2009.
- (iv) He was granted paternity leave from 01.05.1990 to 15.05.1990
- (v) He was on extraordinary leave on private affairs for 20 days
- (vi) He was placed under suspension for four months from 01.11.1993 which was later revoked without imposition of any penalty.
- (vii) Dearness Allowance @ 35% from 01.01.2010.

(18 marks)

- (b) If judicial proceedings were pending in Court of law in a criminal case against the above officer on the date of superannuation, state how his pension and gratuity are to be sanctioned. (2 marks)

2. (a) On the basis of the following information prepare the leave account of Mr. 'X', a Central Government officer and work out the earned leave & half pay leave at his credit as on the date of his retirement on superannuation.

- (i) Born on 07.04.1950 as per service record & joined Government service on 24.06.1972.
- (ii) Leave at Credit as on 30.06.2007, EL = 232 days & HPL = 256 days
- (iii) He was on 50 days of unauthorized absence from 15.01.2007, this was later treated as "dies-non"
- (iv) On his transfer from Chennai to New Delhi he availed 9 days joining time against the 15 days admissible. He joined on 06.08.2008.
- (v) He took 25 days EL from 06.06.2008 and again 59 days EL from 03.06.2009.
- (vi) He took 40 days of commuted leave from 31.10.2007.
- (vii) He took 25 days of commuted leave and 56 days of HPL in continuation of second spell of EL, i.e. immediately after 59 days of EL from 03.06.2009. (10 marks)

- (b) On the assumption that the officer above did not take any leave after 21.10.2009 calculate the cash equivalent of leave salary on the date of superannuation.

- (i) His basic pay is ₹ 24,200/- plus ₹ 5,400/- as the grade pay.
- (ii) Dearness Allowance at 35% from 01.01.2010 (5 marks)

3. Comment on **ANY THREE** of the following : (5 marks each)
- (a) A group 'A' officer expired while in service and left behind his mother, wife and children. His CGEGIS, 1980 nomination was 100% in the name of his mother and was made by him before his marriage. Mother's claim is rejected by the Head of Office who orders benefits be paid in equal shares to the widow & children. This is on the basis that nomination is invalid after the officer got married. Comment.
- (b) A Government servant takes Leave Travel Concession (Home Town) for the block year 2010-11 in January, 2010 with prior permission of the competent authority. He completes the return journey on 29.01.2010. However, the claim is submitted only on 26.05.2010. He pleads for relaxation in the time limit because of personal problems at home. The Head of Office takes a lenient view and submits the case to Head of Department for relaxation as a special case. No advance was drawn by the government servant for this purpose (LTC visit). Comment.
- (c) A government servant dies while under suspension before the disciplinary proceedings instituted against him could be concluded. The disciplinary Authority decides to treat the period between the date of suspension and the date of death as leave on half pay. Comment.
- (d) A government servant is transferred from Station 'A' to station 'B' and is again transferred within a reasonably short time to station 'C'. How will the rules regarding cost of transportation of personal effects be applied? Comment.
4. (a) Prepare the ledger folio & calculate the interest and closing balance for the F.Y. 2009-10 in respect of a GPF A/c.
- (i) Closing Balance for the F.Y. 2008-09 is ₹ 6,50,226/-
- (ii) Subscription @ ₹ 9,000 from March 2009 (Salary month) to August 2009 (Salary month) & ₹ 12,000 from September 2009 (Salary month) onwards.
- (iii) Advance of ₹ 40,000 taken in September, 2007 recoverable in 20 installments.
- (iv) Advance of ₹ 45,000 taken in December 2008. The consolidated amount is recoverable in 10 installment.
- (v) Withdrawal of ₹ 85,000 in July, 2009.

(vi) The government servant retired on attaining the age of superannuation on 31.01.2010.

(vii) Rate of Interest for the F.Y. 2008-09 & 2009-10 is 8%.

(10 marks)

- (b) Mr. 'A' joined Central Government service on 9.12.1970 in Gr. 'C' post. He was promoted as AAO w.e.f 23.02.1993 and became Pay & Accounts Officer w.e.f 29.12.2006. The amount of subscription is provided below. Calculate the payment under CGEGIS admissible to Mr. 'A' on the cessation in March 2010 (Table of Benefits for the year 2010 is enclosed).

Period	Contribution	Post
(i) 01.01.1982 to 31.12.1993	₹ 30/p.m.	Gr. 'C'
(ii) 01.01.1994 to 31.03.2010	₹ 60/p.m.	Gr. 'B'

(5 marks)

5. Write short notes on **ANY THREE** of the following: (5 marks each)

- Deposit linked Insurance Scheme.
  - Admissibility of Traveling Allowance for journey for Medical Attendance.
  - Contribution while on foreign service in India.
  - Allowing withdrawal of resignation from Government Service.
  - Salient features of the New Pension Scheme (NPS).
-

AAE - 2 (H)

सहायक लेखा अधिकारी (सिविल) परीक्षा

नवम्बर, 2010

सेवा नियम (पुस्तकों सहित)

समय : 2 घंटे

अधिकतम अंक : 65

अनुमत पुस्तकें :

1. मूल नियमों एवं पूरक नियमों का संकलन, खंड-1 तथा II
2. केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 1944
3. केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 1972
4. परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम
5. केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियम, 1972
6. छुट्टी यात्रा रियायत नियम
7. सामान्य भवि-य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960
8. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम 1980
9. पुनः नियोजित पेंशन भोगियों को पेंशन दिए जाने संबंधी आदेश

उपलब्ध कराए जाने वाले फार्म :

1. छुट्टी खाता फार्म
2. वर्ष 2010 से संबंधित सीजीईजीआईएस लाभ की सारणी

टिप्पणियां :

- (1) इस प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न और 4 पृ-ठ हैं।
- (2) प्रश्न संख्या 1 और 2 अनिवार्य है। शेष में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए।
- (3) परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रश्नों के स्पष्ट और सटीक उत्तर दें और नियमों के संबंधित प्रावधानों (जहां लागू हों) का उल्लेख करें।

1. (क) निम्नलिखित ब्योरे से (i) पेंशन के लिए अर्हक सेवा (ii) सेवा के अंतिम 10 माह के दौरान औसत परिलब्धियां (iii) पेंशन (iv) पेंशन का अधिकतम संराशीकृत मूल्य और पूर्ण पेंशन बहाल किए जाने की तारीख (v) सेवानिवृत्ति उपदान (vi) परिवार पेंशन और बढी हुई दर ज्ञात कीजिए:-

(i) जन्म की दारीख 23.03.1950

(ii) सेवा आरंभ करने की तारीख 09.12.1970

- (iii) वेतन बैंड-2 में मूल वेतन ₹21,910 और ग्रेड वेतन ₹5,400 था। अधिकारी को 01.04.2009 से वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वेतन बैंड - 3, ₹15,600-39,100 + ग्रेड वेतन ₹5,400) के रूप में पदोन्नत कर दिया गया और उसने 01.07.2009 से पदोन्नति पर वेतन निर्धारण का विकल्प दिया।
- (iv) उसे 01.05.1990 से 15.05.1990 तक पितृत्व अवकाश प्रदान किया गया।
- (v) अधिकारी व्यक्तिगत कार्य से 20 दिन के असाधारण अवकाश पर रहा।
- (vi) अधिकारी को 01.11.1993 से चार माह के लिए निलंबित रखा गया और बाद में उस पर कोई दंड लगाए बिना बहाल कर दिया गया।
- (vii) 01.01.2010 से महंगाई भत्ता 35% की दर पर था।

(18 अंक)

- (ख) यदि उपर्युक्त अधिकारी के विरुद्ध अधिवर्षिता की तारीख को न्यायालय में एक आपराधिक मामले में न्यायिक कार्यवाही लंबित थी तो बताइए कि उसे पेंशन और उपदान किस प्रकार स्वीकृत किए जाएंगे।

(2 अंक)

2. (क) निम्नलिखित सूचना के आधार पर केंद्रीय सरकार के एक अधिकारी श्री 'एक्स' का छुट्टी खाता तैयार कीजिए और अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख को उसके खाते में जमा अर्जित छुट्टी और अर्ध वेतन छुट्टी ज्ञात कीजिए:-
- (i) सेवा रिकार्ड के अनुसार उसका जन्म 07.04.1950 को हुआ था और उसने 24.06.1972 को सरकारी सेवा आरंभ की थी।
- (ii) 30.6.2007 की स्थिति के अनुसार उसके खाते में अर्जित छुट्टी - 232 दिन और अर्ध वेतन छुट्टी - 256 जमा थी।
- (iii) वह 15.01.2007 से 50 दिन की अनधिकृत अनुपस्थिति पर था, इसे बाद में "अकार्य दिवस" माना गया।
- (iv) उसका चेन्नई से नई दिल्ली स्थानांतरण होने पर उसने 9 दिन की कार्यग्रहण अवधि का लाभ उठाया जबकि उसे 15 दिन स्वीकार्य थे। उसने 06.08.2008 को कार्यभार ग्रहण किया।
- (v) उसने 06.06.2008 से 25 दिन का अर्जित अवकाश लिया और 03.06.2009 से 59 दिन का अर्जित अवकाश लिया।
- (vi) उसने 31.10.2007 से 40 दिन का परिवर्तित अवकाश लिया।

- (vii) उसने दूसरी बार लिए गए अर्जित अवकाश अर्थात 03.06.2009 से 59 दिन के अर्जित अवकाश के तुरंत बाद, के क्रम में 25 दिन का परिवर्तित अवकाश और 56 दिन का अर्ध वेतन अवकाश लिया।

(10 अंक)

(ख) यह मानते हुए कि उपर्युक्त अधिकारी ने 21.10.2009 के बाद कोई अवकाश नहीं लिया, अधिवर्षिता की तारीख को छुट्टी वेतन के बराबर राशि ज्ञात कीजिए।

(i) उसका मूल वेतन ₹24,200 और ग्रेड वेतन ₹5,400 है।

(ii) 1.1.2010 से महंगाई भत्ता 35% की दर पर है।

(5 अंक)

3. निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर टिप्पणी कीजिए:-

(5 अंक प्रत्येक)

(क) एक समूह 'क' अधिकारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई और वह अपने पीछे अपनी माता, पत्नी और बच्चों को छोड़ गया। उसका सीजीईजीआईएस, 1980 नामांकन उसकी माता के नाम में 100% था जोकि उसने अपने विवाह से पूर्व किया था। माता के दावे को कार्यालय प्रमुख द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है और वे यह आदेश देते हैं कि लाभ को विधवा और बच्चों को बराबर-बराबर भागों में अदा कर दिया जाए। यह उस आधार पर है कि अधिकारी का विवाह होने के पश्चात नामांकन अवैध हो गया है। टिप्पणी कीजिए।

(ख) एक सरकारी कर्मचारी जनवरी, 2010 में ब्लाक वर्ष 2010-11 के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से छुट्टी यात्रा रियायत (गृह नगर) लेता है। वह वापसी यात्रा 29.01.2010 को पूरी करता है। तथापि, वह 26.05.2010 को दावा प्रस्तुत करता है। वह घर की व्यक्तिगत समस्याओं के कारण समय सीमा में छूट दिए जाने का तर्क देता है। कार्यालय प्रमुख लचीला रूख अपनाते हुए विशेष मामले के रूप में छूट दिए जाने के लिए विभागाध्यक्ष के पास मामला प्रस्तुत करता है। इस प्रयोजन के लिए (छुट्टी यात्रा रियायत दौरा) सरकारी कर्मचारी द्वारा कोई अग्रिम आहरित नहीं किया गया था। टिप्पणी कीजिए।

(ग) एक सरकारी कर्मचारी की निलम्बित रहते हुए, उसके विरुद्ध चल रही अनुशासनिक कार्यवाही के पूरे होने से पूर्व मृत्यु हो जाती है। अनुशासनिक प्राधिकारी निलम्बन की तारीख और मृत्यु की तारीख के बीच की अवधि को अर्ध वेतन अवकाश के रूप में माने जाने का निर्णय लेता है। टिप्पणी कीजिए।

(घ) एक सरकारी कर्मचारी को स्टेशन 'ए' से स्टेशन 'बी' पर स्थानांतरित कर दिया जाता है और पुनः यथोचित कम समय में स्टेशन 'सी' पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। निजी सामान की परिवहन लागत से संबंधित नियम किस प्रकार लागू किए जाएंगे? टिप्पणी कीजिए।

4. (क) एक सामान्य भविष्य निधि लेखे के संबंध में खाता-बही पन्ना बनाइए और वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए ब्याज और अंत शेष ज्ञात कीजिए।
- वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए अंत शेष ₹6,50,226 है।
  - अभिदान मार्च, 2009 (वेतन माह) से अगस्त, 2009 (वेतन माह) तक ₹9,000 और सितम्बर, 2009 (वेतन माह) से आगे ₹12,000 की दर पर था।
  - सितम्बर, 2007 में लिया गया ₹40,000 का अग्रिम 20 किस्तों में वसूल किया जाना है।
  - ₹45,000 का अग्रिम दिसम्बर, 2008 में लिया गया था। समेकित राशि 10 किस्तों में वसूल की जानी है।
  - ₹85,000 जुलाई, 2009 में आहरित किए गए थे।
  - सरकारी कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.01.2010 को सेवानिवृत्त हुआ।
  - वित्तीय वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए ब्याज की दर 8% है।

(10 अंक)

- (ख) श्री 'ए' ने समूह 'ग' पद पर 09.12.1970 को केंद्र सरकार की सेवा शुरू की थी। उसे 23.02.1993 से सहायक लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया और वह 29.12.2006 से वेतन तथा लेखा अधिकारी बन गया। अभिदान की राशि नीचे दी गई है। मार्च, 2010 में कटौती बंद होने पर श्री 'ए' को स्वीकार्य सीजीईजीआईएस के अंतर्गत अदा की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। (वर्ष 2010 से संबंधित लाभ की सारणी संलग्न है)।

अवधि	अंशदान	पद
(i) 01.01.1982 से 31.12.1993	₹30 प्रति माह	समूह 'ग'
(ii) 01.01.1994 से 31.03.2010	₹60. प्रति माह	समूह 'ख'

(5 अंक)

5. निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए:-

(5 अंक प्रत्येक)

- जमा सम्बद्ध बीमा स्कीम
- चिकित्सा परिचर्या संबंधी यात्रा के लिए यात्रा भत्ते की स्वीकार्यता
- भारत में अन्यत्र सेवा पर रहते हुए अंशदान
- सरकारी सेवा से त्यागपत्र वापस लिए जाने की अनुमति दिया जाना।
- नई पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं।